Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 20-03-2006

Participants : Singh Shri Prabhunath

an>

Title : Issue regarding promotion and creation of the post of Director General of Police in States.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष जी, देश के हर प्रान्त में पुलिस महानिदेशक का एक ही पद स्वीकृत होता है, परन्तु कई राज्यों में समकक्ष पदाधिकारियों को पदोन्नति लाभ दे दिया गया है। लेकिन वेतन एवं अन्य सुविधाएं नहीं दी गयीं क्योंकि प्रावधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक का वेतन दे सकती है। महालेखाकार के अनुसार राज्य सरकार को द्वितीय समवर्गीय पद सृजन का अधिकार नियम 1954 की धारा 9(7) के तहत नहीं है। यह अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है। झारखंड प्रांत में समकक्ष जो पदाधिकारी थे, उनमें से एक को डीजीपी बनाया गया। जो उनसे सीनियर आफिसर थे, उनको डीजीपी स्तर के दूसरे पद पर बैठा दिया गया, लेकिन अभी तक उनको वेतन और अन्य सुविधाएं इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने समकक्ष पद का सृजन नहीं किया है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि चूंकि यह अधिकार केन्द्र सरकार का है, और जब पदाधिकारी सीनियर हो जाते हैं, तो उनको डिमोरलाइज करना बहुत आवश्यक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में झारखंड में समकक्ष पद सृजन करने के लिए केन्द्र सरकार रूचि ले। वहां एक पदाधिकारी श्री एम. महापात्रा प्रभावित हो रहे हैं जिनको पुलिस महानिदेशक के समकक्ष पद दे दिया गया है लेकिन उनको अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। में केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में रूचि लेकर समकक्ष पद को स्वीकृति दें।